न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 08/2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री योगेश कुमार मिश्रा प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर।

.........प्रार्थी

बनाम

1.श्री हरीराम जाट पुत्र सुखदेव जाट
निवासी–भौज्यावास पंचायत तिलोनिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर पुलिस थाना बादरसिंदडी जिला अजमेर

2.श्री भोलाराम जाट निवासी हरमाडा तहसील रूपनगढ पुलिस थाना बादरसींदरी जिला अजमेर

3. हरमाडा इण्डेन गैस एजेन्सी हरमाडा जिला अजमेर पुलिस थाना बांदरसींदरी जिला अजमेर

........अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी — पेरोकार सरकार
2. श्री एन.एस.राजावत — अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1,2,3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक– 13.10.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि अवैध एल.पी.जी. व्यवसाय पर रोकथाम के के क्रम में दिनांक 30.12.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय जांच दल द्वारा आजाद नगर किशनगढ जिला अजमेर में स्थित श्री भोलाराम जाट के मकान पर पहुँचकर जॉच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी। वक्त जांच मौके पर श्री हरीराम जाट पुत्र श्री सुखदेव जाट निवासी भोज्यावास, पंचायत तिलोनिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर उपस्थित मिला तथा श्री हरीराम द्वारा जांच कार्य संपादित करवाया गया। श्री हरीराम जाट द्वारा स्वयं को हरमाडा इण्डेन गैस एजेन्सी का डिलीवरी मैन होना बताया गया। वक्त जांच श्री हरीराम द्वारा अवगत करवाया गया कि कार्यवाही की जा रहा मकान श्री भोलााराम जाट निवासी हरमाडा का है जो कि घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है जिसके आस–पास सटाकर अनेक मकान है। मकान की जांच में पाया कि मकान में अनेक गैस सिलेण्डर रखे है तथा एक गैस सिलेण्डर में से तेजी से गैस लीक हो रही थी जिसे तत्काल सेफ्टी कैप लगाकर लीकेज रूकवाया गया। मौके पर मकान में प्रवेश द्वार के पास इण्डेन कम्पनी के घरेलू एलपीजी के 26 भरे हुए सिलेण्डर रखे होना पाया गया। जिनके पास इलेक्ट्रिक बोर्ड एवं स्विच भी लगे होना पाया। मकान के संकरे चौक में 12 घरेलू एलपीजी के सिलेण्डर एवं एक 19.2 किग्रा क्षमता का व्यावसायिक सिलेण्डर भी रखा होना पाया गया । जिनमें से 07 भारत गैस कम्पनी के एवं 06 इण्डेन गैस कंपनी के होना पाया। संकरे चौक से सटाकर सकरी गली में भी 12 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के रखे होना पाया गया। इस प्रकार मकान में अवैध रूप से कुल 51 एलपीजी सिलेण्डरो (50 घरेलू व 01 व्यावसायिक सिलेण्डर) का भण्डारण होना पाया। मौके पर सार्थक एच.पी.गैस एजेन्सी, किशनगढ के कार्मिक श्री लोकेश पुत्र श्री सत्यनारायण को बुलवाकर प्रमाणित कांटे से वजन कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 375.4 किग्रा गैस का

जिला कलक्टर
अजमेर

होना पाया गया। मौके पर श्री हरीराम ने गैस एजेन्सी से सिलेण्डरो का श्री भोलाराम के मकान पर लाकर रखना तथा हरीराम द्वारा नियमित रूप से इस जगह सिलेण्डरो का रखा जाना एवं यही से सघन आबादी क्षेत्र में उपरोक्ताओ को सप्लाई किया जाना बताया। मौके पर अवैध रूप से भण्डारित पाये गये सिलेण्डरो के संदर्भ में श्री हरीराम द्वारा जांच दल द्वारा दस्तावेज यथा सिलेण्डरो की सप्लाई के बिल, वाउचर, गोदाम के गेट पास एवं अन्य मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं होना बताया। मौके पर श्री भोलाराम जाट के मकान के बाहर एक पिक वाहन संख्या आर.जे. 21 जीडी 1358 का खडा होना पाया जिसमें एलपीजी सिलेण्डर भरे हुए थे। पूछताछ में हरीराम ने बताया कि हरमाडा इण्डेन गैस एजेन्सी के गोदाम से घरेलू एलपीजी की सप्लाई के लिए निकला है परन्तु जांच में गोदाम का गेट पास उपभोगक्ताओ के बिल, वाउचर प्राप्ति रसीद, डिलीवरी रसीद, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हरीराम का स्वंय का ड्राईविंग लाईसेन्स व अन्य कोई वैध दस्तावेज नहीं होना पाया गया। जॉच में वाहन में 14.2 किग्रा क्षमता के इण्डेन कम्पनी के 81 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर तथा 19 किग्रा क्षमता का 01 इण्डेन कम्पनी का वाणिज्यिक सिलेण्डर होना पाया गया। उक्त 81 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों में से 44 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों का खाली होना तथा 37 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो का भरा होना पाया गया तथा इन समस्त 82 सिलेण्डरो में कुल 509.2 किग्रा गैस का भरा होना पाया गया। इन सिलेण्डरो को श्री हरीराम द्वारा कार्यवाही स्थल जो की भोलाराम जाट का मकान है पर खाली करने के प्रयोजन से लाना पाया गया। मौके पर पाये गये सिलेण्डरो में से अधिकांश सिलेण्डरो की सीले टूटी हुई पाई गयी तथा अधिकाश सिलेण्डर अण्डरवेट होना पाया है तथा इस सिलेण्डरो के पास गैस भरने की एक बांसूरी (जुगाड) पायी गई। कार्यवाही स्थल पर अवैध रूप से भण्डारित पाये गये एल.पी.जी के समस्त 133 सिलेण्डरो मय 884.6 किलोग्राम एलपीजी एवं 01 रिफलिंग बासूरी को राजहित मे कब्जेराज लेकर मौके पर नजदीकी गैस एजेन्सी सार्थक एचपी गैस सर्विस किशनगढ के कार्मिक श्री लोकेश पुत्र श्री सत्यनारायण को बुलवा कर सत्यापित व मुद्रांकित कांटे से वजन करवाकर आगामी आदेशो तक सुपुर्दगी में दिये गये एवं पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी डी 1358 का अवैध गैस रिफलिंग व्यवसाय में प्रयुक्त होना प्रतीत होने से इस पिकअप वाहन को राजहित में कब्जेराज लेकर पुलिस थाना मदनगंज किशनगढ को अग्रिम आदेशो तक सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार एलपीजी जैसे अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ का सघन रिहायशी क्षेत्र में अपने आर्थिक हितो के लिए अवैध रूप एलपीजी भण्डारण, व्यवसाय व रिफलिंग कार्य किया जाकर मानव जीवन को जोखिम एवं दुर्घटना प्रबल संभावना कारक कृत्य किया जाना पाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(ख) 4(1)(ख) एवं खण्ड 6(1)(क)(ग) की अवहेलना किया जाना पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8 एवं 3/10 में दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 133 सिलेण्डरो मय 884.6 किलोग्राम एल.पी.जी, 01 रिफलिंग बासूरी तथा वाहन पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जीडी 1358 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा ए के तहत राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अवैध एल.पी.जी. व्यवसाय पर रोकथाम के के कम में दिनांक 30.12.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय जाच दल द्वारा आजाद नगर किशनगढ जिला अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

में स्थित श्री भोलाराम जाट के मकान पर पहुँचकर जॉच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी। वक्त जांच मौके पर श्री हरीराम जाट पुत्र श्री सुखदेव जाट निवासी भोज्यावास, पंचायत तिलोनिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर उपस्थित मिला तथा श्री हरीराम द्वारा जांच कार्य संपादित करवाया गया । श्री हरीराम जाट द्वारा स्वयं को हरमाडा इण्डेन गैस एजेन्सी का डिलीवरी मेन होना बताया गया। वक्त जांच श्री हरीराम द्वारा अवगत करवाया गया कि कार्यवाही की जा रहा मकान श्री भोलाराम जाट निवासी हरमाडा का है जो कि घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है जिसके आस–पास सटाकर अनेक मकान है। मकान की जांच में पाया कि मकान में अनेक गैस सिलेण्डर रखे है तथा एक गैस सिलेण्डर में से तेजी से गैस लीक हो रही थी जिसे तत्काल सेफ्टी कैप लगाकर लीकेज रूकवाया गया । मौके पर मकान में प्रवेश द्वार के पास इण्डेन कम्पनी के घरेलू एलपीजी के 26 भरे हुए सिलेण्डर रखे होना पाया गया। जिनके पास इलेक्ट्रिक बोर्ड एवं स्विच भी लगे होना पाया। मकान के संकरे चौक में 12 घरेलू एलपीजी के सिलेण्डर एवं एक 19.2 किग्रा क्षमता का व्यावसायिक सिलेण्डर भी रखा होना पाया गया । जिनमें से 07 भारत गैस कम्पनी के एवं 06 इण्डेन गैस कंपनी के होना पाया । संकरे चौक से सटाकर सकरी गली में भी 12 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के रखे होना पाया गया । इस प्रकार मकान में अवैध रूप से कुल 51 एलपीजी सिलेण्डरो (50 घरेलू व 01 व्यावसायिक सिलेण्डर) का भण्डारण होना पाया। मौके पर सार्थक एच.पी.गैस एजेन्सी, किशनगढ के कार्मिक श्री लोकेश पुत्र श्री सत्यनारायण को बुलवाकर प्रमाणित कांटे से वजन कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 375.4 किग्रा गैस का होना पाया गया। मौके पर श्री हरीराम ने गैस एजेन्सी से सिलेण्डरो का श्री भोलाराम के मकान पर लाकर रखना तथा हरीराम द्वारा नियमित रूप से इस जगह सिलेण्डरो का रखा जाना एवं यही से सघन आबादी क्षेत्र में उपरोक्ताओ को सप्लाई किया जाना बताया । मौके पर अवैध रूप से भण्डारित पाये गये सिलेण्डरो के संदर्भ में श्री हरीराम द्वारा जांच दल द्वारा दस्तावेज यथा सिलेण्डरो की सप्लाई के बिल, वाउचर, गोदाम के गेट पास एवं अन्य मांगे जान पर उपलब्ध नही होना बताया। मौके पर श्री भोलाराम जाट के मकान के बाहर एक पिक वाहन संख्या आर.जे. 21 जीडी 1358 का खड़ा होना पाया जिसमें एलपीजी सिलेण्डर भरे हुए थे। पूछताछ में हरीराम ने बताया कि हरमाडा इण्डेन गैस एजेन्सी के गोदाम से घरेलू एलपीजी की सप्लाई के लिए निकला है परन्तु जांच में गोदाम का गेट पास उपभोगक्ताओ के बिल, वाउचर प्राप्ति रसीद, डिलीवरी रसीद, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हरीराम का स्वयं का ड्राईविंग लाईसेन्स व अन्य कोई वैध दस्तावेज नहीं होना पाया गया। मौके पर पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जीडी 1358 में अवैध रूप भरे सिलेण्डरो की जांच सार्थक एचपी गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री लोकेश एवं हरमाडा इण्डेन गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री हरीराम से करवाई गई। जॉच में वाहन में 14.2 किग्रा क्षमता के इण्डेन कम्पनी के 81 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर तथा 19 किग्रा क्षमता का 01 इण्डेन कम्पनी का वाणिज्यिक सिलेण्डर होना पाया गया । उक्त 81 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों में से 44 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों का खाली होना तथा 37 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो का भरा होना पाया गया तथा इन समस्त 82 सिलेण्डरो में कुल 509.2 किग्रा गैस का भरा होना पाया गया। इन सिलेण्डरो को श्री हरीराम द्वारा कार्यवाही स्थल जो की भोलाराम जाट का मकान है पर खाली करने के प्रयोजन से लाना पाया गया। मौके पर पाये गये सिलेण्डरो में से अधिकांश सिलेण्डरो की सीले टूटी हुई पाई गयी तथा अधिकांश सिलेण्डर अण्डरवेट होना पाया है तथा इस सिलेण्डरो के पास गैस भरने की एक बांसूरी (जुगाड) पायी गई। कार्यवाही स्थल पर अवैध रूप से भण्डारित पाये गये एल.पी.जी के समस्त 133 सिलेण्डरो मय 884.6 किलोग्राम एलपीजी एवं 01 रिफलिंग बांसूरी को राजहित मे कब्जेराज लेकर मौके पर

जिला कलक्टर
अजमेर

नजदीकी गैस एजेन्सी सार्थक एचपी गैस सर्विस किशनगढ के कार्मिक श्री लोकेश पुत्र श्री सत्यनारायण को बुलवा कर सत्यापित व मुद्रांकित कांटे से वजन करवाकर आगामी आदेशो तक सुपुर्दगी में दिये गये एवं पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी डी 1358 का अवैध गैस रिफिलिंग व्यवसाय में प्रयुक्त होना प्रतीत होने से इस पिकअप वाहन को राजहित में कब्जेराज लेकर पुलिस थाना मदनगंज किशनगढ को अग्रिम आदेशो तक सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार एलपीजी जैसे अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ का सघन रिहायशी क्षेत्र में अपने आर्थिक हितो के लिए अवैध रूप एलपीजी भण्डारण, व्यवसाय व रिफलिंग कार्य किया जाकर मानव जीवन को जोखिम एवं दुर्घटना प्रबल संभावना कारक कृत्य किया जाना पाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(ख) 4(1)(ख) एवं खण्ड 6(1)(क)(ग) की अवहेलना किया जाना पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8 एवं 3/10 में दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 133 सिलेण्डरो मय 884.6 किलोग्राम एल.पी.जी, 01 रिफलिंग बांसूरी तथा वाहन पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जीडी 1358 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे।

जवाब में उपस्थित अभिभाषक अप्राथीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.12. 2022 को विधि एवं क्षेत्राधिकार के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 03 के स्वामित्व की एजेन्सी हरमाडा इण्डेन गैस एजेन्सी के 133 सिलेण्डर मय 884.6 कि.ग्रा. एलपी.जी. एवं पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जीडी 1358 एवं अन्य सामग्री जब्त करते हुए उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 03 हरमाडा इण्डेन गैस एजेन्सी को पक्षकार संयोजित किया गया है जिसमें किसी प्रकार से एजेन्सी लाइसेन्सी अथवा स्वामी के नाम का कोई उल्लेख नही है, इस प्रकार प्रार्थी द्वारा सम्पादित की गई कार्यवाही विधि के आज्ञापक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त उनवान प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 03 लाइसेन्सी/स्वामी को ना तो पक्षकार संयोजित किया गया है, तथा ना ही प्रकरण प्रस्तुत किये जाने से पूर्व किसी प्रकार से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया है, इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो एवं आर.आर.टी 2007 (1) पेज संख्या 125–127 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों के विपरीत होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा तथाकथित रूप से प्रकरण में वर्णित जब्त 133 सिलेण्डरो में विघमान एल.पी.जी गैस का तौल करवाये जाते समय भी अप्रार्थीगण को ना तो किसी प्रकार से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया, तथा ना ही अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तोल/माप किया गया है, इस प्रकार प्रार्थी द्वारा समपादित की गई कार्यवाही द्वेषतापूर्वक एक पक्षीय एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 का मकान घनी आबादी क्षेत्र में स्थित होकर उसके आस पास अनेको मकान निर्मित होकर रहवास होना उल्लेखित किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 02 के मकान के आसपास, सटाकर अथवा उसके लगते हुए कोई मकान अथवा रहवास विघमान नहीं होकर चारो और रिक्त भूखण्ड विघमान करते है, साथ ही किसी भी सिलेण्डर से ना तो गैस लीक हो रही थी, ना ही कोई सिलेण्डर बिना किसी सेफ्टी केप के विघमान रहे है, इस प्रकार प्रार्थी द्वारा सम्पादित की गई सम्पूर्ण कार्यवाही विधि–विरूद्ध एव देषतापूर्वक होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 01 जो कि अप्रार्थी संख्या 03 का डिलीवरी मैन है, द्वारा एजेन्सी के वितरण वाहन संख्या आर.जे. 23 जीए 1708 के माध्यम से सिलेण्डर

जिला कलक्टर
अजमेर

उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने हेतु रवाना हुआ, परन्तु अचानक उक्त वाहन का रास्ते में दिनांक 30.12.2022 को बेरिंग टूट जाने के कारण उपभोक्ताओ की सुविधाओ की दृष्टि से एजेन्सी के दूसरे वाहन संख्या आर.जे. 21 जीडी 1358 में उक्त वर्णित वाहन से सिलेण्डरो को उतारकर भरा जा रहा था, तथा अतिरिक्त सिलेण्डरो को अप्रार्थी संख्या 02 के मकान के बाहर चबूतरी एवं प्रवेश द्वार के निकट एकत्रित किया जाना था, परन्तु प्रार्थी व उसके जांच दल द्वारा वास्तविक एवं भौतिक स्थिति के विपरीत जाकर अभिवचनों का उल्लेख कर वर्तमान प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जो विधि विरूद्ध एवं द्वेषतापूर्वक होने से निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही वाहन संख्या आर.जे. 23 जी ए 1708 के बेरिंग नवीन रूप से लगाये जाकर तैयार करवाया गया बिल संख्या 135 दिनांक 30.12.2022 जवाब प्रकरण के साथ बतोर साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के माध्यम से दिनांक 30.12.2022 को जिन उपभोक्ताओ को सिलेण्डरो का वितरण किया गया, उसके मूल वााउचरो की फोटो प्रतियां बतौर साक्ष्य इस जवाब प्रकरण के साथ प्रस्तुत की जा रही है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक एल.पी.जी सिलेण्डरों के वितरण का समय होता है, जिस दौरान अचानक किसी कारण से वाहन के खराब हो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में अन्य वाहन की व्यवस्था कर सिलेण्डरों को उतारने व चढ़ाने का काम किया जाता है, तो वह अवैध भण्डारण की परिभाषा में नहीं आता है, इस कारण प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 30.12.2022 को सम्पादित की गई कार्यवाही में समय का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि प्रार्थी द्वारा मिथ्या शिकायत के आधार पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के माध्यक से वाहन संख्या आर.जे. 23 जी ए 1708 व आर.जे. 21 जी.डी 1358 जो कि एजेन्सी के अधिकृत सिलेण्डर वितरण वाहन है, जिनके द्वारा दिनांक 30.12.2022 को प्रातः 8.30 व 9.00 बजे से उपभोक्ताओ का सिलेण्डर वितरण किये जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसके मूल गेटपास बतौर साक्ष्य जवाब प्रकरण के साथ प्रस्तुत किये जा रहे है। प्रार्थी द्वारा जिन 133 सिलेण्डरो को जब्त किया जाकर एल.पी.जी गैस विघमान होना उल्लेखित किया गया है, उनमें से जवाब के साथ संलग्न वाउचरो के साथ अधिकतर सिलेण्डर खाली रहे है, जिनको अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तौल करवाकर एल.पी.जी विघमान होना उल्लेखित कर वर्तमान प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के साथ संलग्न मौके के फोटोग्राफ से प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि प्रार्थी व उसकी टीम द्वारा दोपहर के समय उक्त कार्यवाही सम्पादित की गई है, तथा सिलेण्डर अवैध भण्डारण के रूप में विघमान नहीं होकर वाहन खराब हो जाने के कारण उन्हें यथास्थान उतारकर निगरानी में रखते हुए द्वितीय वाहन के माध्यम से उपभोक्ताओ को वितरित की जाने की कार्यवाही की जा रही थी। अतः उपरोक्त अभिवचनों, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रकरण निरस्त फरमाया जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर, वाहन व अन्यसामग्री अप्रार्थीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त जांच श्री हरीराम द्वारा अवगत करवाया गया कि कार्यवाही की जा रही मकान श्री भोलाराम जाट निवासी हरमाड़ा का है जो कि घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है जिसके आस–पास सटाकर अनेक मकान है। मकान की जांच में पाया कि मकान में अनेक गैस सिलेण्डर रखे है तथा एक गैस सिलेण्डर में से तेजी से गैस लीक हो रही थी जिसे तत्काल सेफ्टी कैप लगाकर लीकेज रूकवाया गया । मौके पर मकान में प्रवेश द्वार के पास इण्डेन कम्पनी के घरेलू एलपीजी के 26 भरे हुए सिलेण्डर रखे होना पाया गया । जिनके पास इलेक्ट्रिक बोर्ड एवं स्विच भी लगे होना पाया । मकान के संकरे चौक में 12 घरेलू

जिला कलक्टर
अजमेर

एलपीजी के सिलेण्डर एवं एक 19.2 किग्रा क्षमता का व्यावसायिक सिलेण्डर भी रखा होना पाया गया । जिनमें से 07 भारत गैस कम्पनी के एवं 06 इण्डेन गैस कंपनी के होना पाया। संकरे चौक से सटाकर संकरी गली में भी 12 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के रखे होना पाया गया। इस प्रकार मकान में अवैध रूप से कुल 51 एलपीजी सिलेण्डरो (50 घरेलू व 01 व्यावसायिक सिलेण्डर) का भण्डारण होना पाया। मौके पर श्री भोलाराम जाट के मकान के बाहर एक पिक वाहन संख्या आर.जे. 21 जीडी 1358 का खडा होना पाया जिसमें एलपीजी सिलेण्डर भरे हुए थे। पूछताछ में हरीराम ने बताया कि हरमाडा इण्डेन गैस एजेन्सी के गोदाम से घरेलू एलपीजी की सप्लाई के लिए निकला है परन्तु जांच में गोदाम का गेट पास उपभोगक्ताओ के बिल, वाउचर प्राप्ति रसीद, डिलीवरी रसीद, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हरीराम का स्वय का ड्राईविंग लाईसेन्स व अन्य कोई वैध दस्तावेज नहीं होना पाया गया। जॉच में वाहन में 14.2 किग्रा क्षमता के इण्डेन कम्पनी के 81 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर तथा 19 किग्रा क्षमता का 01 इण्डेन कम्पनी का वाणिज्यिक सिलेण्डर होना पाया गया। उक्त 81 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों में से 44 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों का खाली होना एवं 37 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो का भरा होना पाया गया तथा इन समस्त 82 सिलेण्डरा में कुल 509.2 किग्रा गैस का भरा होना पाया गया । वक्त निरीक्षण मौके पर अवैध रिफलिंग का कार्य होना, अप्रार्थी 2 के मकान से घरेलू गैस सिलेण्डर का पाया जाना, घनी आबादी में स्थित मकान पर अवैध रूप से सिलेण्डरों में रिफलिंग की पुष्टि करता है। साथ ही इतनी बड़ी मात्रा में बिना अनुज्ञापत्र मकान से बरामद घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर भण्डारण किया जाना प्रमाणित होता हैं। घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस का अन्य सिलेण्डरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाना पूर्णरूपेण अवैधानिक है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू/व्यावसायिक सिलेण्डरें में रिफिलिंग, अप्रार्थी संख्या 01 हरिराम जाट द्वारा अवैध रूप से रिफिलिंग में सहयोग व घरेलू गैस का अन्यत्र उपयोग, एवं अप्रार्थी संख्या 2 श्री भोलाराम जाट द्वारा रिफिलिंग हेतु घरेलू गैस सिलेण्डर सप्लाई करना एल.पी.जी.आर्डर (एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(ख) 4(1)(ख) एवं खण्ड 6(1)(क)(ग) की अवहेलना किया जाना पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8 एवं 3/10 में दण्डनीय अपराध है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है मौके से जप्त समस्त सामग्री जब्तशुदा 133 सिलेण्डरो मय 884.6 किलोग्राम एल.पी.जी, 01 रिफलिंग बांसूरी को राजसात किया जाता है। वाहन पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी डी. 1358 द्वारा रिफिलिंग हेतु घरेलू गैस सिलेण्डर सप्लाई व अवैध परिवहन के उपयोग के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के प्रावधानों के तहत वाहन पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी डी. 1358 पर रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार मात्र) का जुर्माना राशि कायम की जाती है। राशि जमा होने पर उपरोक्त वाहन के किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो बाद स्वामित्व सन्तुष्टी के सम्बन्धित को सौंप दिया जावे। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर,
अजमेर